राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15 (3) (95) सा.सु./मु.हु.वि. योजना/2020/ 15706 **जयपुर, दिनांकः** 1/4/21

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 3706–40 दिनांक 19.01.2012 से जारी मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा "**मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना हेतु संशोधित संचालन नियम, 2021**" जारी किये जाते हैं–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार ::

I. ये **"मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना हेतु संशोधित संचालन नियम, 2021"** कहलायेंगे।

II. यह नियम सम्पूर्ण राज्य में जारी किये जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. उद्देश्य ::

I. राज्य सरकार की पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित बालक/बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये कौशल विकास हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण/तकनीकी कौशल विकास व तकनीकी/उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना।

II. संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण/तकनीकी कौशल विकास व तकनीकी/उच्च शिक्षा पूर्ण होने के उपरान्त् ऐसे बालक/बालिकाओं के लिए रोजगार की संभावनाऐं व सम्भावित उपार्जन हेतु विभाग द्वारा सर्वोत्तम प्रयास करना।

3. योजना का क्रियान्वयन ::

I. योजना का क्रियान्वयन एवं अभिकरण राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर होगा। जिला स्तर पर उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग क्रियान्वयन अधिकारी होंगे।

II. योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक कार्य, अनुदान स्वीकृति व अन्य सम्बन्धित कार्य सम्पादन हेतु आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सक्षम होंगे।

4. पात्रता ::

I. पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बालक/बालिका, जिनकी आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, योजना में लाभान्वित होंगे।

II. योजनान्तर्गत लाभान्वित बालक/बालिकां की अधिकतम आयु 21 वर्ष अथवा संबंधित कोर्स/कार्यक्रम पूर्ण होने तक सीमित होगी।

5. अनुदान की स्वीकृति व अनुदान राशि का भुगतानः

(I). व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण ::

क. पालनहार लाभार्थी बालक/बालिका को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम/राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल)/जन शिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

ख. पालनहार लाभार्थी बालक/बालिका संबंधित संस्थान/प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से संचालित व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से चिन्हित कार्यक्रम के जरिये प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा।

ग. जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्राप्त आवेदन की अधिकतम 1 माह के अंदर जांच कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर भुगतान करेगा।

घ. राज्य सरकार द्वारा संबंधित कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को निर्धारित फीस एवं अन्य खर्च का पुनर्भरण किया जायेगा। यदि बालक/बालिका संबंधित संस्थान के होस्टल या निर्धारित अन्य कोई सुविधा/फीस (मैस फीस, स्टेशनरी एवं ड्रेस फीस) प्राप्त करना चाहते है, तो उसका भी पुनर्भरण किया जायेगा।

ङ. फीस एवं अन्य खर्च सीधे संबंधित प्रशिक्षणकर्ता संस्थान को बालक/बालिका के संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश देने के पश्चात् उपलब्ध कराई जाएगी।

च. योजनान्तर्गत बालक/बालिका को अधिकतम 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभान्वित किया जा सकेगा। योजनान्तर्गत लाभ की सीमा अधिकतम 21 वर्ष अथवा संबंधित कोर्ष के पूर्ण होने तक सीमित होगी।

छ. योजनान्तर्गत बालक/बालिका के कौशल विकास हेतु व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम/राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.)/जन शिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं आयु सीमा पूर्ण करनी होगी।

ज. योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक/बालिका को संबंधित संस्थान/प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

झ. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा प्रशिक्षित बालक/बालिका के लिए रोजगार व सम्भावित उपार्जन हेतु सर्वोत्तम प्रयास किये जायेंगे।

(II). <u>उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा</u> ::

क. पालनहार योजना के लाभार्थी बालक/बालिका को उनकी योग्यता एवं इच्छित रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा आर्थिक सहायता मुहिया कराई जायेगी।

ख. योजनान्तर्गत पालनहार लाभार्थी बालक/बालिका के संबंधित शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने की तिथि से अधिकतम 3 माह के भीतर कोर्स फीस के पुनर्भरण हेतु प्रवेश प्राप्ति रसीद सहित अपना आवेदन करना होगा।

ग. योजनान्तर्गत कोर्स फीस के रूप में संबंधित कोर्स हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित फीस का पुनर्भरण किया जायेगा।

घ. योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने पर ही योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा।

ङ. योजनान्तर्गत बालक/बालिका को सामान्य/उच्च/तकनीकी शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर इत्यादि) के लिये भी सहायता प्रदान की जायेगी।

च. योजनान्तर्गत बालक/बालिका को कोर्स फीस का पुनर्भरण उसके बैंक बचत खाते के माध्यम से किया जायेगा। योजनान्तर्गत लाभ की सीमा 21 वर्ष अथवा संबंधित कोर्स के पूर्ण होने तक सीमीत होगी।

छ. योजनान्तर्गत उन्हीं बालक/बालिका को लाभ दिया जायेगा जो भारत सरकार/राज्य सरकार से उच्च/तकनीकी शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा हेतु कोई अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे है।

(III). स्वरोजगार/व्यवसाय ::

क. योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले बालक/बालिका को स्वरोजगार/व्यवसाय हेतु दो किस्तों (प्रथम किस्त में कुल राशि का 60 प्रतिशत् एवं द्वितीय किस्त में शेष राशि) में राशि प्रदान की जायेगी।

3

बालक/बालिका द्वारा जिस कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, से संबंधित स्वरोजगार/व्यवसाय हेतु राशि उपलब्ध करवाई जावेगी।

ख. योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले बालक/बालिका स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

ग. आवेदन के साथ स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु उधोग आधार पोर्टल पर किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

घ. जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्राप्त आवेदन की अधिकतम 1 माह के अंदर जांच कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर भुगतान करेगा।

ङ. स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था दुकान/स्थान स्थापित करने अथवा उपकरण, कच्चा माल आदि क्रय करने के लिए प्रथम किस्त में कुल राशि का 60 प्रतिशत दी जावेगी।

च. लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त के आधार पर की गई आवश्यक व्यवस्था (दुकान/ स्थान स्थापित करने अथवा उपकरण, कच्चा माल आदि क्रय करने) के पश्चात् जिलाधिकारी/विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

छ. योजनान्तर्गत स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु अनुदान राशि रूपये 50,000/– या वास्तविक/अनुमानित लागत, जो भी कम हो, तक सीमित होगी। इस राशि में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर वृद्वि की जा सकेगी।

ज. योजनान्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि संबंधित बालक/बालिका के बैंक बचत खाते के माध्यम से प्रदान की जायेगी। पात्रता रखने वाले बालक/बालिका की आयु 21 वर्ष के पूर्ण होने तक अथवा संबंधित कोर्स के पूर्ण होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक सीमित होगी।

झ. स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु निर्धारित मापदंड यथा पंजीयन पूर्ण करने होंगे।

6. निरीक्षण/निगरानी, अनुवर्तन एवं संचालन ::

I. संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजनान्तर्गत व्यवसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों की सूची जिले में रोजगार उपलब्ध करवाने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्था से साझा करेगा ताकि बच्चों को रोजगार की गतिविधियों से जोड़ा जा सके।

II. संबंधित कार्यक्रम की समाप्ति एवं कार्यक्रम दौरान योजनान्तर्गत लाभान्वितों से फोलोअप किया जायेगा ताकि कार्यक्रम के दौरान आ रही समस्याओं के निपटान एवं सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

III. आयुक्त/निदेशक एवं उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अथवा प्राधिकृत अधिकारी संबंधित व्यवसायिक/तकनीकी/शिक्षण संस्थान का समय–समय पर एवं अकस्मात निरीक्षण कर संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध कराये जा रहे शिक्षण/प्रशिक्षण आदि का आंकलन कर सुधार हेतु आवश्यक निर्देश देंगे।

IV. उक्त सभी अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन की एक–एक प्रति क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं संबंधित कार्यालय को सूचनार्थ/पालनार्थ आवश्यक रूप में भेजेंगे।

7. विशिष्ट ::

I. राज्य सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत इस योजना के संचालन नियम के निर्धारित अभिलेख/जॉच/निरीक्षण प्रतिवेदनों, अनुबन्ध पत्र, शर्तों (यदि कोई हो) आदि में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

II. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने में यदि कोई कठिनाई/बाधा हो तो उनको दूर करने, योजना के संचालन नियम के किसी बिन्दु की व्याख्या व किसी भी विवाद में आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

III. योजना की पात्रता/प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के शिथिलता प्रदान करने हेतु आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार सक्षम होंगे।

IV. योजना की क्रियान्विति की समीक्षा वार्षिक स्तर पर आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी।

26/3/2021

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ. 15 (3) (95) सा.सु./मु.हु.वि. योजना/2020/ 15707-16095 **जयपुर, दिनांक:** 1/4/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि., शासन सचिवालय, राज.।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/गृह/स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/श्रम एवं नियोजन विभाग/कौशल विकास विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, शासन सचिवालय, राज.।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, राज.।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, आयुक्त, निदेशालय बाल अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.), राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त ,.....।
11. जिला कलेक्टर ,.....।
12. अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), सान्याअवि, मुख्यावास।
13. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, ...।
15. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ...।
16. रक्षित पत्रावली।

26/3/XXI

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)